न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./132/2022/बाड़मेर

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेंटगण**
विरमाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 43 वर्ष जाति मेगवाल निवासी सिलोर तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. प्रभुसिंह पुत्र हरीराम 2. भीगसिंह पुत्र हरीराम 3. मेहनसिंह पुत्र हरीराम जातियान पुरोहित निवासीयान सिलोर तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 180/2021 बअनवान विरमाराम बनाम प्रभूसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अपीलांट/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा सिलोर तहसील समदड़ी में खेत खसरा संख्या 620/518 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म बारानी अवल का अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 520, 521 रकबा 18 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। अपीलांटगण/प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा सिलोर तहसील समदड़ी में खेत खसरा संख्या 620/518 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म बारानी अवल का अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 520, 521 रकवा 18 वीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन में चाहा गया रास्ता प्रस्तावित नहीं कर दूर का रास्ता प्रस्तावित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त रास्ते से सिलोर आने में अपीलकर्ता को करीब 7 किलोमीटर की दूरी पार करनी होगी, जो न्यायोचित नहीं है। मौका फर्द दिनांक 04.04.2022 को वादग्रस्त स्थल का विधिवत मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की थी, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने अपीलकर्ता के खेत में आवागमन हेतु वांछित रास्ते सहित पूर्व में लगातार चले आ रहे पुराने रास्ते के अनुसार अलग से परिशिष्ट 'अ' बनाकर पेश किया था। जिसमें प्रस्तावित दोनों रास्ते व्यावहारिक एवं अपीलकर्ता को अपने गांव सिलोर में आने–जाने हेतु सुलभ एवं नजदीकी रास्ता है। जिसके रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर अपीलांटस को न्याय से महरूम कर दिया गया। अपीलांटस को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता अपीलांटस/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। धारा 251ए में नया रास्ता कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु absolutenecessary End absence of alternative means of access is proved है। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। और जब किसी काश्तकार के पास alternative means of access मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सकता है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटस को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मौजा सिलोर तहसील सगदड़ी में खेत खसरा संख्या 620/518 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म वारानी अवल का अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 520, 521 रकवा 18 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त खसरों में से रास्ता प्रस्तावित नहीं कर अन्य विकल्प को रास्ते के रूप में प्रस्तावित किया गया। अपीलांटस ने हस्तगत अपील में उजर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ता नदी के बहाव क्षेत्र में पड़ता है। धारा 251ए में नया रास्ता कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु absolutenecessary End absence of alternative means of access is proved है। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। लेकिन प्रस्तावित रास्ता नदी के बहाव क्षेत्र में होने से अपीलांटस को गंतव्य तक पहुचने में असुविधा होगी। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी खातेदार को परेशान तंग नहीं किया जा सकता। अपीलांटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है इसलिए अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना लाजमी है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 180/2021 बअनवान विरमाराम बनाम प्रभूसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटस/प्रार्थी के खातेदारी खेत तक पहुंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता नदी के बहाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्षेत्र है या नहीं इस तथ्य की जांच उभयपक्ष की उपस्थिति में कर प्रार्थी को सुलभ निकटतम रास्ता प्रदान करने की कार्यवाही करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नियत दिनांक से पूर्व भिजवाई जावे।

(प्रतिभा पालीनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर